"डॉ. भीमराव आम्बेडकर"

— डॉ. रवीन्द्रनाथ मिश्र

डॉ. बाबासाहेब का जीवन और चिंतन मानव अधिकारों के लिए उनके संघर्ष का दस्तावेज है। हर वह व्यक्ति जो दलित, शोषित, उपेक्षित और असहाय है, वे सब उनकी संवेदना के आधार थे। उनकी भावनाएं, चाहे उनका राजनैतिक चिंतन हो, आर्थिक चिंतन हो अथवा सामाजिक चिंतन हो, सभी में अभिव्यक्ति पाती थीं।

डॉ. भीमराव का जन्म १४ अप्रैल १८९१ ई. को महु में (जो अब मध्य प्रदेश में इन्दोर के पास स्थित है) एक महार परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम सकपाल था। उनके पिता रामजी मौलाजी सैनिक स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। उन्हें मराठी, गणित और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था। घर का वातावरण धार्मिक था और परिवार में कबीरपंथी उदार विचारोंका पूरा प्रभाव था।

बालक भीम सकपाल को विद्यार्थी जीवन से छुआछूत के कटु अनुभव होने लगे। एक बार की बात है, बालक भीम भयंकर वर्षा से बचने के लिए एक मकान के बरामदे में खडे थे। सवर्ण मकान मालिक को जब बालक की जाति का पता चला तो उसने उसे बस्ते सहित बरसात के कीचड सने पानी में धकेल दिया। इस प्रकार बालक भीम को अनेक अपमान सहने पडे। उस समय अशिक्षा के कारण हमारे समाजमें जातिगत भेदभाव बहुत था। नाई बाल नहीं काटते थे और अध्यापक संस्कृत पढाने को तैयार नहीं थे। समाज में इस प्रकार की विसंगतियों को देखकर बालक भीम का मन टूट गया। उसके व्यवहार में दृढता आई और उसके बचपन में ही यह दृढ निश्चय कर लिया कि वह छुआछूत के कलंक के विरुद्ध संघर्ष करेगा।

डॉ. भीमराव के भाव और चेतना समानता तथा स्वतंत्रता के तन्तुओं से आवेष्टित थे। उनके भाव का आधार था करूणा और उनकी चेतना का आधार थी बौद्धिकता। ये दोनों बातें उन्हें अपने आसपास के वातावरण से मिली थीं। बचपन में तथा बाद में भी उन्होंने एक मानव द्वारा दूसरे मानव को तिरस्कृत किए जाने की लासरी को देखा था और स्वयं झेला भी था। इस परिस्थिति ने उनके मनमें, विशेषकर तिरस्कृत वर्ग के प्रति, करूणा का भाव पैदा किया।

विद्यार्थी जीवन में डॉ. भीमराव को अनेक समस्याओं का सामना करना पडा। समस्याओं से जुझते हुए भी भीम ने बी. ए. की परीक्षा पास की। आगे से अध्ययन के लिए साधन नहीं थे। इन्ही दिनो बडौदा रियासत की ओर से कुछ योग्य छात्रों को विदेश जाकर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई। अम्बेडकर को इसका लाभ उठाने का अवसर मिल गया। अम्बेडकर १९१३ ई. से १९१७ ई. तक अमेरिका और इंग्लैण्ड में रहे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और कानून का गहन अध्ययन किया और पी. एच. डी. की डिग्री प्राप्त की।

अमेरिका और इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालय के खुले वातावरण का उन पर गहरा प्रभाव पडा। यहां उनके मन में मानव की गरिमा के प्रति समान आस्था की भावना दृढ़ हुई तथा उनके मस्तिक में जनतांत्रिक विचारों का बीजारोपण हुआ।

डॉ. आम्बेडकर अध्ययनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने विश्वके सभी धर्मों का अध्यमन किया लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ माना और उसे अपनाया भी। बौद्ध धर्म के प्रति उनके आकर्षण का कारण इस धर्म की करुणामय दृष्टि और तार्किकता ही थी। आम्बेडकर को गौतम बुद्ध विश्व के सबसे बडे प्रजातांत्रिक विचारक लगे; जिनके यहाँ वर्ग भेद, जाति भेद और देश भेद नहीं था।

डॉ. आम्बेडकर वैज्ञानिक दृष्टीकोण के समर्थक थे, तथा आंख बंद करके परम्परा से चली आई किसी बात को मान लेने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि संसार में जड़ कुछ भी नहीं है। कुछ भी शाश्वत नहीं और कुछ भी सनातन नहीं। हर चीज परिवर्तनशील है। परिवर्तन मानव समाज का धर्म है। गौतम बुद्ध ने लोगों का आहवान करते हुए कहा था कि "सुनी हुई बात पर विश्वास मत करो, परम्पराओं पर केवल इसलिए विश्वास न करो, क्यों की वे पीढीदर पीढी चली आई हैं... किसी बात पर केवल तब विश्वास करो, जब तुम उसे जांच परख लो और उसका विश्लेषण कर लो। जब यह देखलो कि तर्कसंगत है, तुम्हें नेकी के रास्ते पर लगाती है, और सबके लिए लाभदायक है, तब ही तुम उसके अनुसार आचरण करो।

डॉ. आम्बेडकर लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के जबर्दस्त प्रवक्ता थे, क्यों कि इसी व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा को पर्याप्त स्थान प्राप्त होता है, व्यक्ति की प्रतिभा को फलने–फूलने के लिए समान, उपयुक्त और उन्मुक्त वातावरण मिलता है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'जाति-भेद का उच्छेद' के पृष्ठ ५९ पर अपने आदर्श समाज के बारे में लिखा भी है, कि "मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज है, जिसका आधार स्वाधीनता, समता और बंधुता हो।"

बचपन से ही डॉ. भीमराव को अनेक विषमताओं का सामना करना पडा, जिससे उनका मन उद्विग्न हो उठा। आजीविका की परवाह न करते हुए वे दलित वर्ग को छुआछूत के विरुद्ध संगठित करने के काम में जुट गए। उन्होंने अपना पुरा जीवन इस वर्ग में जागृति पैदा करने और उसे अपने पैरों पर खडा करने में लगा दिया।

इस बीच गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी हिन्दू समाज के इस कलंक को मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। बापू ने २ मार्च १९३४ के "हरिजन" में लिखा कि "अस्पृश्यता ईश्वर" और मानवता के प्रति एक पाप है। शास्त्रों में अस्पृश्यता का कोई प्रमाण नहीं है, जैसा कि हम आज कर रहे हैं। डॉ. आम्बेडकर ने भी अस्पृश्यता को शास्त्रविहित मानकर इसका विरोध किया। वे पूछते – "क्या दुनिया में ऐसा और भी कोई समाज है; जिसमें मनुष्यों के एक वर्ग को अछूत माना जाए, जिसकी परछाई से और देखने माल से दूसरे लोग गंदे हो जाते हों?"

भारत के स्वतंत्र होने तक डॉ. आम्बेडकर अपनी विद्वता, संगठन–शक्ति और सुलझे विचारों के कारण देश में अपना विशेष स्थान बना चुके थे। स्वतंत्रता के बाद १९४७ ई. में जो

प्रथम सरकार बनी, उसमें डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रुप में सम्मिलित हुए। उन्हें संविधान सभा की उस समिती का अध्यक्ष भी बनाया गया, जिसे संविधान का प्रारूप बनाने का काम सौंपा गया था। डॉ. अम्बेडकर के प्रगतिशील विचारों का यह प्रमाण है, कि भारतीय संविधान के द्वारा देश से जाती, धर्म, भाषा और स्त्री-पुरुष के आधार पर सभी प्रकार के भेद भावों को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया।

अक्तूबर १९५१ ई. तक वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहे। तत्पश्यात् मंत्रिमंडल से बाहर आकर समाज के पिछडे वर्गों को संगठित करने के काम मे जूट गए। पर उनके कर्मठ; यशस्वी और प्रतिभावान जीवन का अंत निकट आ चुका था। ६ दिसम्बर १९५६ ई. को नई दिल्ली में उनका देहान्त हो गया।

यहाँ इतना ही बताना अभिप्राय है, कि दलित एवं शोषितों के लिए उन्होंने जितनी दृढता और पूर्ण बौद्धिकता के साथ संघर्ष किया, उसने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए युग की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। डॉ. आम्बेडकर का यह कार्य ऐतिहासिक महत्व का है; जिसका महत्व समय के प्रवाह के साथ बढता ही चला जाएगा।